संख्या डी.-31016/34/2003-सामान्य
भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग
नई दिल्ली - 110001, दिनांक 29 अगस्त, 2008

सेवा में,

सूची अनुसार

विषय:- वार्षिक आधार पर पब्लिक एड्रेस सिस्टमों की रिपेयरिंग/रख-रखाव हेतु।

महोदय,

इस मंत्रालय के दिनांक 08.08.08 व 12.08.08 के समसंख्यक पत्रों के अनुसार सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली व जीवन प्रकाश बिल्डिंग कार्यालय, कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष व प्रशिक्षण कक्ष में लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टमों की रिपेयरिंग/रख-रखाव के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए सील बन्द कोटेशन देने के लिए आमंत्रित किया था । मात्र एक ही कोटेशन दिनांक 14.08.08 को प्राप्त होने के कारण पुनः आपको उक्त पब्लिक एड्रेस सिस्टमों की रिपेयरिंग/रख-रखाव के लिए एक वर्ष की अवधि दिनांक 15 अक्तूबर 2008 से 14 अक्तूबर 2009 तक हेतु सील बन्द कोटेशन देने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है । आप उक्त पब्लिक एड्रेस सिस्टमों के निरीक्षण के उपरान्त कोटेशन दें । आपके द्वारा यदि पहले कोटेशन दी गई है और आप उसे बदलना नहीं चाहते तो उसे सम्मलित किया जाएगा ।

2. कोटेशन के साथ रू 2000/- (रू0 दो हजार मात्र) की राशि का ड्राफ्ट इस मंत्रालय के वेतन व लेखा अधिकारी के नाम संलग्न करना अनिवार्य होगा । बिना ड्राफ्ट के कोटेशन मान्य नहीं होगी ।

3. सफल कोटेशन की कम्पनी को रू0 3000/- (रू0 तीन हजार मात्र) की राशि का ड्राफ्ट जमानत के तौर पर इस मंत्रालय में जमा करानी अनिवार्य होगी, जोकि सफल कार्य निपटान के उपरान्त वापिस कर दी । आपका कार्य संतोषजनक ना होने पर आपको आबंटित ए0एम0सी0 रद्द करते हुए, आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी ।

4. कोटेशन अधोहस्ताक्षरी के नाम दिनांक 02 सितम्बर 2008 तक अपराह्न 3.00 बजे तक इस मंत्रालय के स्वागत कक्ष के बाहर बने कोटेशन बाक्स में डाली जा सकती है । तदोपरान्त प्राप्त होने वाली कोटेशन मान्य नहीं होगीं । कोटेशन उसी दिन कमरा न0 222ए द्वितीय तल, सरदार पटेल भवन मे अपराह्न 3.30 बजे खोली जाऐंगी । आप स्वंय या आपके प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय पर उपस्थित रह सकते हैं ।

5. मंजूर कोटेशन में वर्णित ए0एम0सी0 राशि का भुगतान दो बराबर किस्तों में किया जाएगा । पब्लिक एड्रेस सिस्टमों की रिपेयरिंग/रख-रखाव के लिए आपको माह में एक बार जाँच हेतु आना तथा सर्विस कार्ड बनाना अनिवार्य होगा । इसके अतिरिक्त किसी भी समय पब्लिक एड्रेस सिस्टमों की खराबी दूर करने के लिए उपस्थित होना होगा । पब्लिक एड्रेस सिस्टमो को ठीक करने का कार्य भवनों में ही किया जाएगा । यदि रिपेयर इत्यादि के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टमो को भवनों के बाहर ले जाने की आवश्यकता हुई तो मंत्रालय द्वारा किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं दिया जाएगा ।

6. इस मंत्रालय को बिना कोई कारण बताये किसी भी कोटेशन को रद्द करने का पूरा अधिकार होगा ।

(राम मोहन)
अवर सचिव,भारत सरकार

प्रतिलिपि :-

निर्देशक, संगणक केन्द्र, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन को मंत्रालय के वेबसाइट में डालने हेतु ।